REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2018

म. प्र. शासकीय नीतियों में आदिवासी समुदाय को प्रदत्त सुविधायें व आरक्षण (2010)

डॉ. श्वेता तिवारी

सारांश –

प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश राज्य की शासकीय नीतियों में आदिवासी समुदाय को प्रदत्त सुविधाओं व आरक्षण (2010) से सम्बन्धित है। अतः शोध पत्र में मध्यप्रदेश राज्य की शासकीय नीतियों में आदिवासी समुदाय को प्रदत्त सुविधाओं एवं आरक्षण (2010) की स्थिति का वर्णन किया गया है।

प्रस्तावना –

आदिवासी समुदाय की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक विशेषताएं इस प्रकार की रही है उनके अस्तित्व एवं विकास के लिये विशेष सुविधाओं की आवश्यकता सदैव से महसूस की जाती रही है। इस आवश्यकता को कार्यकारी बनाने के लिये ही संविधानविदों ने इस वर्ग को लचीला प्रशासन प्रदान करने की व्यवस्था की, यह व्यवस्था ही वैधानिक रूप से आरक्षण कहलाया।

जनजातियों के विकास के लिये ही दी जाने वाली शासकीय सुविधाएं व कार्यक्रमों को आरक्षण की वैधानिकता में नियोजित किया गया है। इन प्रशासनिक सुविधाओं और आरक्षण के समागम से ऐसे वातावरण के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है जिसमें दुर्बल पिछड़े वर्ग अपनी प्रतिभा को साबित कर आगे बढ़ सके। इस प्रयास से ऐसे समरूप समाज की स्थापना हो सके जिसमें प्रत्येक नागरिक को पूर्ण सामर्थ्य से अपने व्यक्तित्व विकास का अनुकूल अवसर प्राप्त हो।

आरक्षण जनजातीय विकास की पूर्ण प्रक्रिया नहीं हैं बल्कि यह तो शासकीय सुविधाओं और कार्यक्रमों का समायोजित स्वरूप है। यह जनजातियों को अलग–अलग चरणों में उनकी आवश्यकता के अनुरूप सुविधा प्रदान करता है। समस्त योजनाओं और कार्यक्रमों के मूल में आरक्षण का मौलिक उद्देश्य भी समाहित है। इस प्रकार ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। इनकी पृथक व्याख्या नहीं है।

जनजातीय उन्नयन के लिये वचनबद्ध भारत सरकार ने अपने सार्थक प्रयासों का प्रारंभ प्रथम योजनाकाल से ही कर दिया था। इन प्रयासों में जनजातियों की स्थिति और समस्याओं को देखते उनके सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्तर के सुधार के लिये योजनाएं निर्मित की गई थी। वर्तमान में जनजातियों की नवीनकृत परिस्थितियों के अनुरूप योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है क्योंकि वर्तमान में जनजातियों का स्तर पूर्वकालों से काफी उन्नत हो चुका है। अतः अब की योजनाएं और कार्यक्रम आधुनिक शिक्षा, रोजगार की उपयोगिता पोषण स्तर इत्यादि पर निर्मित और प्रवर्तित की जा रही है।

इस शक्ति पृथक्करण से आशय योजना के सही क्रियान्वयन के लिए प्रशासकीय संरचना के प्रत्येक स्तर पर शक्ति का विभाजन। इस प्रक्रिया द्वारा शासन की प्रत्येक योजना लक्षित समुदाय तक सरलता से पहुंच पाती है। योजना के उद्देश्य के निर्धारण के पश्चात् प्रथम कार्य उसके क्रियान्वयन हेतु एक नियोजित प्रबंधक व्यवस्था का निर्माण करना होता है।

सर्वप्रथम जनजातियों के आर्थिक पक्ष में शासकीय सुविधाओं व आरक्षण से संबंधित योजनाओं का विवरण किया गया है। जिसके अंतर्गत रोजगार व ऋण संबंधी कार्यक्रम सम्मिलित है। अर्थ व अर्थ संबंधी

गतिविधियां मानव के जीवन स्तर को तय करती है और जीवन संबंधी उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में महती भूमिका निभाती है। अतः शासन का ध्यान रोजगार (आजीविका) के साधनों पर केन्द्रित किया गया है।

मानवीय संसाधन किसी भी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है किन्तु राष्ट्र इस अमूल्य संसाधनों का विदोहन नहीं कर पाता तभी पिछड़ापन पनपता है। हमारे देश में एक बड़ा युवा शिक्षित वर्ग है जो अवसरों की कमी के कारण बेरोजगार है।

रोजगार से संबंधित योजनाओं का विवरण निम्नांकित है –

1) म. प्र. ग्रामीण रोजगार योजना
2) प्रधानमंत्री रोजगार योजना
3) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
4) दीनदयाल रोजगार योजना
5) रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना
6) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

शिक्षा से संबंधित योजनाओं का विवरण निम्नांकित है –

1) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उ. मा. विद्यालय
2) निःशुल्क सायकल प्रदान योजना
3) निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना
4) अनुसूचित जाति छात्रावास और आश्रम शालाएं
5) आदिवासी विद्यार्थियों के लिए क्रीड़ा परिसर योजना
6) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना
7) तकनीकी शिक्षा रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना
8) संघ एवं म. प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना
9) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र
10) पी.ईटी/पीएमटी एवं पीएटी प्रशिक्षण योजना

स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं का विवरण निम्नांकित है –

1) जननी सुरक्षा योजना
2) आयुष्मति योजना
3) प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना
4) बाल समेकित योजना
5) राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित योजनाओं का विवरण निम्नांकित है –

1)स्वजलधारा ग्रामीण जलप्रदाय योजना

सामाजिक न्याय से संबंधित सुविधाएं निम्नांकित है –

1) इंदिरा आवास योजना
2) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
3) समेकित बाल विकास परियोजना
4) बालिका समृद्धि योजना

शासकीय सुविधाओं एवं आरक्षण का मूल्यांकन –

किसी भी योजना में पात्रता और हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण कारक है। यही योजना की सफलता को तय करते हैं। जबकि गलत हितग्राहियों का चयन योजना के मूल उद्देश्य को ही समाप्त कर देता है। ऐसी स्थिति में जरूरतमंद योजना से अछूता ही रह जाता है और अपात्र को लाभ प्राप्त होता जाता है। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि योजनाओं में समाहित आरक्षण तभी सफल हो पायेगा जब सही हितग्राही का चयन हो।

योजनाओं की असफलता एवं आरक्षण का लक्षित समूह तक नहीं पहुंच पाने में अधिकारियों ने निम्नांकित कारकों को उत्तरदायी बताया है –

1) राजनैतिक दबाव
2) चयन प्रक्रिया का कम समय
3) मध्यस्थों की भूमिका
4) जागरूकता की कमी

राजनैतिक दबाव – यह योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रमुख बाधक है। कई बार ग्राम सरपंच/ग्राम सेवक/नेता के दबाव के कारण ऐसे हितग्राहियों का चयन करना पड़ता है जो उनकी सिफारिशों पर यहां आते हैं जिसकी वजह से उचित हितग्राही लाभांश से वंचित रह जाते हैं। कुछ योजनाओं में लक्ष्य कम आते हैं जिनकी पूर्ति अच्छे सम्पर्क वाले व्यक्ति की कर देते हैं जिन के कारण जरूरतमन्द व्यक्ति शेष रह जाते हैं।

चयन प्रक्रिया का कम समय –

चयन प्रक्रिया में हितग्राही चयन के लिये कम समय मिल पाता है। इस स्थिति में गलत चयन की सम्भावना बढ़ जाती है। कई बार लक्ष्य देर से आते हैं जबकि उन्हें पूरा करने के लिये कम समय प्राप्त होता है। इस स्थिति में पूर्ण समय ना मिले में सही गलत का उचित निर्णय लेने का समय नहीं मिल पाता। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में जनजाति परिवारों की सर्वेक्षण सूची तैयार होती है। अधिकारी हितग्राहियों का चयन इसी आधार पर करते हैं यदि सूची में गलत परिवारों का चयन होगा तो संभवः योजना लक्ष्य से भटक जावेगी।

मध्यस्थों की भूमिका –

योजनाओं का आदिवासियों में प्रसारित करने में पंचायत कर्मी लिपिक चपरासी या अन्य शासकीय सेवक आते हैं ये लोग लाभार्थी स स्वयं का लाभ प्रतिशत पहले ही तय कर लेते हैं। इससे भी निरीह आदिवासी लाभ प्राप्त नहीं कर पाता।

जागरूकता की कमी –

आदिवासी बहुत इलाकों में भिलाला विकासशील जनजाति वर्ग है। जो योजनाओं और सुविधाओं के प्रति जागरूक और प्रगतिशील है। यह वर्ग अपना सम्पर्क निरंतर शासकीय कार्यालय से बनाये रखते हैं। कुछ ग्राम/जनजाति परिवार जो शासकीय मुख्यालय/सड़क मार्ग के समीप हैं वहां जनजाति योजनाएं जल्दी पहुंच जाती है। जबकि अशिक्षित भील जो गहन जंगलों में स्थित फाल्या/ग्राम में रहते हैं वहां योजनाएं विलम्ब से पहुंचती है। जहां योजनाएं पहले आती है वहां के व्यक्ति लक्षित लाभार्थियों की पूर्ति कर देते हैं और दूर के लोग योजनागत लाभ से वंचित रह जाते हैं। इन लोगों को लाभ के लिये आगामी वर्ष का इंतजार करना पड़ता है।

संदर्भ सूची –

1) अम्बेडकर और सामाजिक न्याय, मानव पब्लिकेशन, नई दिल्ली 1994
2) झाबुआ के आदिवासी – डॉ. राजेन्द्र जैन
3) लोक प्रशासन –बी. एल. फडिया – 1996

4) भारतीय संविधानिक विधि, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन 1990 – एम. पी. जैन
5) आरक्षण : सामाजिक न्याय एवं राजनैतिक संतुलन, रावत पब्लिकेशन जयपुर – अनिरूद्ध प्रसाद
6) भील संस्कृति, म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1998 – अशोक पाटील
7) भारतीय समाज एवं संस्कृति – राजकुमार
8) जनजाति जीवन और संस्कृति, सहचरी प्रकाशन, कानपुर 1967 – राजीव लोचन शर्मा
9) ग्रामीण समाज शास्त्र – डॉ. अशोक सचदेव
10)शिक्षा : दिशा और दृष्टिकोण, प्रवीण प्रकाशन, नई दिल्ली 2001 – डॉ. शंकरदयाल शर्मा
11)म. प्र. की जनजाति समाज एवं व्यवस्था, म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल
12)भीलों की सामाजिक व्यवस्था क्लासिकल पब्लिकेशन नई दिल्ली 1995 डॉ. एम.एल. वर्मा
13)सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण
14)जनजातीय मिथक एवं यथार्थ – वैद्य नरेश कुमार
15)भारत का संविधान – डॉ. ए. बी. शर्मा